केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, बी विंग, अगस्त क्रांति भवन
भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

संचिका सं. CICOM/R/2017/01271 दिनांक 26.10.2017

सेवा में,

श्री अभय कुमार,

विषय- आयोग में प्राप्त आपके आर.टी.आई. आवेदन के संबंध में सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 16.10.2017 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 18.10.2017 को डायराइज हुआ (डायरी सं. 172658) तथा दिनांक 20.10.2017 को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ, के संदर्भ में वांछित सूचना निम्नानुसार है:-

बिंदु सं. 1 से 5	श्री एस. पी. बेक, संयुक्त सचिव (प्रशासन) से सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 5 (4) के तहत प्राप्त सूचना की प्रति संलग्न है ।
बिंदु सं. 6	आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में आर.टी.आई. आवेदन प्राप्त होने के बाद सर्वप्रथम उसे स्कैन किया जाता है जिसके लिए आवेदन को लिफाफे से अलग कर दिया जाता है । इसलिए आपका लिफाफा उपलब्ध नहीं है ।
बिंदु सं. 7	आपका दिनांक 16.10.2017 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग के डाक अनुभाग में दिनांक 18.10.2017 को प्राप्त हुआ तथा दिनांक 19.09.2017 को राजपत्रित अवकाश होने के कारण दिनांक 20.10.2017 को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ । दिनांक 23.10.2017 को संयुक्त सचिव (प्र0) से आवेदन के बिंदु सं. 1 से 5 तक की सूचना हेतु सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 5 (4) के तहत सहायता प्रदान करने हेतु पत्र लिखा गया, दिनांक 26.10.2017 को संयुक्त सचिव (प्र0) से सूचना प्राप्त हुई तथा दिनांक 26.10.2017 को ही आपको वांछित सूचना प्रेषित की जा रह है ।
बिंदु सं. 8	इस आर.टी.आई. के निपटाने के लिए नोटिंग की आवश्यकता नहीं थी । अतः नोट की प्रति उपलब्ध करववाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।
बिंदु सं. 9	श्री एस.पी.बेक, संयुक्त सचिव (प्र0 एवं श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ ।
बिंदु सं. 10.	श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली- 110067

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली- 110067 पर की जा सकती है ।

संलग्नक – यथोपरि ।

अशोक कु. शर्मा

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल